देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित
www.page3news.in
नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 276 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 13.0° न्यूनतम 7.0°

40581.71

2 एफ-16 पर पाकिस्तान को फटकार

7 सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को सराहा

संक्षिप्त समाचार

15 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में आखिरकार मंत्रालयों को बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में शिवसेना के हाथ अहम मंत्रालय हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को गृह मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, इंडस्ट्री जैसे मंत्रालय मिले हैं जबकि कांग्रेस को राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, आदि मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, एनसीपी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और वित्त मंत्रालय मिला है। बता दें कि सरकार गठन के करीब 15 दिन बाद मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है।

पूर्वोत्तर में आग लगाने की कोशिश कर रही कांग्रेसः पीएम मोदी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

धनबाद। नागरिकता संशोधन बिल पर सियासी संग्राम गहराने लगा है। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला है। झारखंड की चुनावी रैली में पीएम ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही शरणार्थियों का इस्तेमाल किया और अब वह इस विधेयक को लेकर झूठ बोलकर पूर्वोत्तर में आग लगा रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथ भ्रम फैला रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है।

भूख हड़ताल का ऐलान कर बोलीं पंकजा मुंडे, बीजेपी नहीं छोड़ूंगी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुंबई। बीजेपी में उपेक्षा से नाराज चल रहीं पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह किसी भी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा के मुद्दे पर नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह 27 जनवरी को एक दिन की यह सांकेतिक भूख हड़ताल होगी। इस दौरान मुंडे ने दो टूक कहा कि वह कभी भी बीजेपी नहीं छोड़ेंगी।

मंदिर निर्माण का रास्ता साफ!

अयोध्या फैसलाः सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को किया खारिज

■ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा ने भी डाली थी याचिका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले को लेकर दाखिल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कई मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, वहीं निर्मोही अखाड़े ने भी अपनी कुछ मांगों को लेकर रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने एकमत से रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया। बता दें कि अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले वाली पीठ में जस्टिस बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर भी शामिल रहे हैं।

मुस्लिम पक्ष की याचिकाः मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी याचिका डाली थी। अदालत के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए पहली याचिका 2 दिसंबर को मूल वादकारियों में शामिल एम सिद्दीक के वारिस और यूपी जमीयत उलमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की थी। इस याचिका में 14 बिंदुओं पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया था। उनकी अपील थी कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देकर ही इस प्रकरण में पूरा न्याय हो सकता है। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए अब मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान और मिसबाहुद्दीन ने दायर की हैं। ये सभी पहले मुकदमे में पक्षकार थे।

निर्मोही अखाड़े की मांग

निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या फैसले के खिलाफ नहीं बल्कि शैबियत राइट्स, कब्जे और लिमिटेशन के फैसले पर याचिका दाखिल की थी। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से राम मंदिर के ट्रस्ट में भूमिका तय करने की भी मांग की थी।

अयोध्या पर यह था फैसला

उल्लेखनीय है कि नवंबर में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि की डिक्री राम लला विराजमान के पक्ष में की थी। इसके साथ ही राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने इसके साथ ही अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिये उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था।

पाक पीएम को भारत की दो टूक अपने यहां अल्पसंख्यकों पर दें ध्यान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। पाक द्वारा नागरिक संशोधन बिल को लेकर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाक पीएम के हर बयान पर हमें प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। रवीश कुमार ने कहा कि पाक पीएम इमरान खान द्वारा दिए गए ज्यादातर बयान अनुचित होते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री ऐके अब्दुल मोमेन द्वारा अपना भारत दौरा रद्द करने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाक पीएम इमरान खान को बेतुके बयान देने की जगह अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भारत के आंतरिक मामलों पर बयानबाजी करने से भी बचना चाहिए।

नागरिकता बिलः असम में तनावपूर्ण हालात

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

गुवाहाटी। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। गुरुवार सुबह राजधानी गुवाहाटी में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। राज्य में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सेना ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हिंसा को रोकने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी है। सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

पुलिस आयुक्त को हटायाः गुवाहाटी में प्रदर्शनों को रोकने में असफल रहने पर राज्य की बीजेपी सरकार ने राजधानी गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह पर मुन्ना प्रसाद गुवाहाटी के नए पुलिस आयुक्त होंगे। इस बीच असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश अग्रवाल को एडीजीपी (सीआईडी) के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

पुलिस कमिश्नर को हटाया, फायरिंग

इंटरनेट पर 48 घंटे बढ़ा बैन 'कैब' के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद गुवाहाटी में बुधवार रात अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। 4 स्थानों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है जबकि बुधवार को त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात भी किया गया था। बता दें कि पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है। असम में इंटरनेट सेवाओं को अगले 48 घंटे के लिए और बैन कर दिया गया है।

जतिन बोरा ने छोड़ी बीजेपी

बिल को लेकर बीजेपी के अंदर से भी विरोध होने लगा है। गुरुवार को विधेयक के विरोध में ऐक्टर और असम बीजेपी के नेता जतिन बोरा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

बीजेपी नेताओं के घरों पर भी हमलेः राज्य के कई हिस्सों में बीजेपी और असम गण परिषद के नेताओं के घरों पर भी हमले हुए हैं।

सीएम ने की शांति बनाए रखने की अपीलः असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

आसमान पर महंगाई, 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर महीने में बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो तीन साल का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले महीने अक्टूबर में यह 4.62 प्रतिशत पर थी। वहीं, अक्टूबर 2018 में खुदरा महंगाई दर महज 2.33 पर्सेंट थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 10.1 पर्सेंट रही, जो अक्टूबर में 7.89 पर्सेंट थी और सालभर पहले -2.61 पर्सेंट थी। इससे अधिक खुदरा महंगाई दर जुलाई 2016 में 6.07 पर्सेंट दर्ज की गई थी।

निर्भया को आखिरी इंसाफ जल्द

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। पूरे देश को हिला कर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर शीर्ष अदालत में 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि निर्भया के चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

प्रदूषण का हवाला दे मांग रहा माफीः अक्षय ने अपनी अर्जी में कहा है कि प्रदूषण के कारण वैसे ही लोगों की जिंदगी कम हो रही है फिर फांसी देने की क्या जरूरत है। उसने अपनी याचिका में कहा, शदिल्ली की हवा और पानी खराब होने के चलते जिंदगी लगातार कम हो रही है। ऐसे मौत की सजा की क्या जरूरत है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में सोचें। यह सोचें कि आखिर आपका फैसला कैसे उस व्यक्ति की मदद करेगा। आप ऐसा विचार करेंगे तो आपके भ्रम दूर हो जाएंगे।

इंसाफ

दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर 17 को सुनवाई

निर्भया की मां बोलीं, अदालत का फैसला होगा स्वीकार

निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि अदालत को पुनर्विचार याचिका को सुनना चाहिए लेकिन इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। शीर्ष अदालत के निर्णय को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

फांसी के डर में छोड़ा खाना

उनकी दया याचिका पर जहां राष्ट्रपति का फैसला अभी नहीं आया है वहीं फांसी के डर से चारों दोषियों ने तिहाड़ में खाना-पीना छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि उन्हें इस बात की भनक लग चुकी है कि किसी भी वक्त उनकी फांसी पर फैसला लिया जा सकता है। निर्भया गैंगरेप के तीन दोषी अक्षय, मुकेश और मंडोली जेल से यहां शिफ्ट किए गए पवन को तिहाड़ की जेल नंबर-2 के वॉर्ड नंबर-3 के तीन सेल में रखा गया है। जबकि चौथे कैदी विनय शर्मा को जेल नंबर-4 में रखा हुआ है।

16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली को फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने सकते में डाल दिया था।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in